

भर्ती विज्ञापन संखा:  
एनएफएसयू/शिक्षण/06/2024  
प्राध्यापकों के पदों के लिए जारी विज्ञापन  
विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाता है, बढ़ावा देता है और व्यावहारिक व्यवहार विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान और अन्य के संयोजन के साथ फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्कृष्टता प्रदान करता है। संबद्ध क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्र में प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) के पद के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से योग्य (पात्र) उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

प्राध्यापक पद के लिए विज्ञापन एक रोलिंग विज्ञापन है। कट-ऑफ तिथि तक पर्याप्त संख्या में प्राप्त आवेदित पदों पर पहले चरण में भर्ती की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालाँकि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए विज्ञापन जारी रहेगा। कटऑफ तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर रिक्त पद के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। अतः विज्ञापन की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। रोलिंग विज्ञापन में चयन के संबंध में जानकारी समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

#### शिक्षण पदों का विवरण

पद का नाम: प्राध्यापक (वांची वेतन मैट्रिक्स शैक्षणिक स्तर 14ए, प्रवेश स्तर न्यूनतम मूल वेतन INR 1,59,100/-)

क्रमांक	स्कूल	विषय क्षेत्र	प्रोफेसर					
			उर	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ओबीसी-एनसीएल	ईडब्ल्यूएस	कुल
1	व्यवहार फोरेंसिक स्कूल	फोरेंसिक मनोविज्ञान	-	-	-	-	1	1
		तंत्रिका विज्ञान	1	-	-	-	-	1
		नैदानिक मनोविज्ञान	1	-	1	-	-	2
		अपराध शास्त्र	-	1	-	-	-	1
			कुल	2	1	1	-	5
2	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक स्कूल	डिजिटल फोरेंसिक	1	-	-	2	1	4
		साइबर सुरक्षा	3	-	1	1	-	5



क्रमांक	स्कूल	विषय क्षेत्र	प्रोफेसर					
			उर	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ओबीसी-एनसीएल	ईडल्पूएस	कुल
		कुल	4	-	1	3	1	9
3	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्कूल	खाद्य प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	-	1
		कुल	1	-	-	-	-	1
4	फोरेंसिक साइंस स्कूल	फोरेंसिक विज्ञान (सामान्य)	1	-	2	2	1	6
		फोरेंसिक बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी/डीएनए	-	-	-	1	-	1
		फोरेंसिक रसायन विज्ञान/विष विज्ञान/विस्फोटक	-	1	-	-	-	1
		कुल	1	1	2	3	1	8
5	स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक न्याय और नीति अध्ययन	कानून	2	-	1	2	-	5
		कुल	2	-	1	2	-	5
6	प्रबंधन अध्ययन स्कूल	साइबर सुरक्षा	1	-	-	-	-	1
		लेखा एवं वित्त	1	1	-	-	-	2
		सामान्य प्रबंधन	1	-	1	1	-	3
		कुल	3	1	1	1	-	6
7	स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज	ज़हरज्ञान	-	-	-	1	-	1
		कुल	-	-	-	1	-	1
8	ओपन लर्निंग स्कूल	साइबर सुरक्षा/डिजिटल फोरेंसिक/कंप्यूटर/आईसीटी/आईटी	-	-	-	-	1	1
		कुल	-	-	-	-	1	1
9	फार्मेसी स्कूल	फार्माकोलॉजी/फार्मेसी	-	-	-	1	-	1
		कुल	-	-	-	1	-	1
10	पुलिस विज्ञान एवं सुरक्षा अध्ययन स्कूल	पुलिस प्रशासन/विज्ञान	1	-	-	1	-	2



क्रमांक	स्कूल	विषय क्षेत्र	प्रोफेसर						
			उर	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ओबीसी-एनसीएल	ईडल्यूएस	कुल	
		कुल		1	-	-	1	-	2
		कुल योग		14	3	6	12	4	39

टिप्पणी : 1. पीडब्ल्यूबीडी (PWBD) का आरक्षण समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार मान्य होगा।  
2. अलग-अलग विषयों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

तारीख: 12.12.2024

ह0  
कार्यपालक कुलसचिव



पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताओं का विवरण।

एस. एन.	का नाम डाक	शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक आवश्यकताएँ
1	प्राध्यापक	<p>प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति शैक्षणिक ग्रेड वेतन 10500 लेवल 14ए (प्रवेश स्तर वेतन INR 1,59,100/-) में सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा की जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- एक प्रख्यात विद्वान्,</li> <li>- मास्टर डिग्री* के साथ <b>60% अंक</b> (या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहां बिंदु पैमाने पर समकक्ष ग्रेड) पीएच.डी. के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय में या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।</li> <li>- अनुसंधान में सक्रिय रूप से संलग्न होने के साथ ही यूजीसी- केयर-सूचीबद्ध पत्रिकाओं में न्यूनतम <b>10 शोध प्रकाशन</b>।</li> <li>- न्यूनतम <b>दस साल</b> विश्वविद्यालय/कॉलेज में सहायक प्राध्यापक /सह- प्राध्यापक /प्राध्यापक के रूप में शिक्षण अनुभव, और/या विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में समकक्ष स्तर पर अनुसंधान के साथ <u>पीएच.डी. मार्गदर्शन का अनुभव</u>।</li> </ul> <p><b>स्पष्टीकरण:</b>पीएचडी मार्गदर्शन का अनुभव का मतलब है कि उम्मीदवार के एकल/प्रिंसिपल मार्गदर्शन (गाइड शिप)/पर्यवेक्षण के तहत कम से कम एक छात्र की पीएचडी पूरी होनी चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>एक उत्कृष्ट पेशेवर जिसके पास पीएच.डी. डिग्री है तथा किसी भी शैक्षणिक संस्थान/उद्योग में प्रासंगिक/संबद्ध/अनुप्रयुक्त विषयों में तथा संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विद्या में ज्ञान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसके पास <b>दस साल</b> का अनुभव है।**</p> <p>* क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्राध्यापक पद के लिए एम.फिल. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से क्लिनिकल साइकोलॉजी यहां उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के साथ अनिवार्य है।</p>

**नोट- I (\*\*) -** यह उद्योग जगत के उन अभ्यर्थियों के लिए लागू है जो शिक्षक के अलावा अन्य पद धारण कर रहे हैं।

**नोट- II -** भाषाओं में अध्ययन/अनुसंधान के मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के स्कूलों, केंद्रों और विभाग में आयोजित सभी कार्यक्रमों के संबंध में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और इसलिए अंग्रेजी में दक्षता महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है।



### सामान्य निर्देश और आवश्यक जानकारी

1. समर्थ पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क के साथ अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
2. जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क: रु. 1000/- मात्र। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। एससी/एसटी श्रेणी के आवेदकों, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
3. सभी अधिकारियों की हर वृष्टि से पात्रता निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि होगी।
4. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों के कारण किसी भी देरी से बचने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
5. किसी भी वृष्टि से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम परिवर्तन (यदि लागू हो) से संबंधित दस्तावेज जमा करें (यानी, विवाह प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र, आधार कार्ड)।
7. उम्मीदवारों को आवेदन के साथ आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, शारीरिक विकलांगता, अनुभव आदि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
8. उम्मीदवारों को एम.फिल हासिल करने में लगने वाला समय और/या पीएच.डी. शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावा पेश करने के लिए डिग्री को शिक्षण/अनुसंधान अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
9. उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों से अनुसंधान निधि प्राप्त करने की क्षमता, उचित शैक्षणिक व्यावसायिक गतिविधियां और एक अच्छा अभिनव शिक्षण रिकॉर्ड, चयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड होंगे।
10. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुसार होगा। आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वे किस श्रेणी से संबंधित हैं। उन्हें इस आशय के प्रमाण के रूप में तहसीलदार/मामलतदार/मंडल राजस्व अधिकारी/समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं तो उम्मीदवारों की प्रासंगिक विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इस आशय का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसके बिना आवेदन को 'सामान्य (अनारक्षित) माना जाएगा।



11. विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
12. विश्वविद्यालय किसी भी समय, नियुक्ति के समय या सेवा के कार्यकाल के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत्त तथा दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यदि यह पता चलता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी हैं या उम्मीदवारों के पास अवांछित गुप्त पृष्ठभूमि और उन्होंने उक्त जानकारी को छिपाया है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
13. चयन की प्रक्रिया में किसी भी अनजानी गलती के मामले, जिनको नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर पाये जाते हैं तो विश्वविद्यालय नियुक्ति के साथ-साथ उम्मीदवारों के साथ किए गए किसी भी संचार को संशोधित / वापस लेने / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. विश्वविद्यालय के लिए यह विवेकाधीन होगा कि वह ऐसे उम्मीदवारों पर विचार न करे जिनके विश्वविद्यालय में शामिल होने से लेकर सेवानिवृत्ति तक कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक विश्वविद्यालय में सेवा करने की संभावना नहीं है।
15. जहां भी प्रतिशत के अलावा ग्रेडिंग या किसी अन्य प्रणाली का पालन किया जाता है वहां उम्मीदवार के परिणाम को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रतिशत रूपांतरण तालिका के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
16. विश्वविद्यालय साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की उचित संख्या को योग्यता और अनुभव के आधार पर सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि विधिवत गठित जांच समिति द्वारा तय किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है तो विश्वविद्यालय स्क्रीनिंग आयोजित कर सकता है। आवश्यकतानुसार साक्षात्कार/स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लेने के लिए कॉल लेटर केवल शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवारों को ई-मेल/समर्थ पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे। उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जिनको साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया हैं।
17. निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम हैं और किसी उम्मीदवार के पास केवल न्यूनतम योग्यताएं हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए उसका कोई अधिकार नहीं बनाता है।
18. चयन उम्मीदवारों के समग्र रिकॉर्ड और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय चयन के तरीके के रूप में सेमिनार/संवाद और/या किसी अन्य माध्यम का उपयोग कर सकता है।
19. सीधी भर्ती द्वारा विश्वविद्यालय में किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष/दो वर्ष की अवधि के लिए उस पद पर परिवीक्षा पर रहना होगा।
20. चयनित उम्मीदवारों को ऐसे प्रशिक्षण से गुजरना होगा और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।
21. ओबीसी श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन के समय और चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भारत सरकार के नियमों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।



*[Signature]*

22. पहले से ही सेवा में मौजूद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
23. यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता, श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी आदि), अनुभव और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के समय, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
24. यदि किसी भी समय, यहां तक कि सेवा के दौरान भी, यह पता चलता है कि प्रदान किए गए विवरण गलत हैं या उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं या उम्मीदवार की अवांछित पृष्ठभूमि है और उसने उक्त जानकारी को छिपाया है तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और वह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
25. उम्मीदवार की ओर से या उसके द्वारा किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने पर उसे विचार किए जाने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
26. चयनित उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में रखा जा सकता है। ऐसी नियुक्ति सभी परिसरों में स्थानांतरणीय है।
27. सभी पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होगी।
28. विश्वविद्यालय के पास इस आशय का अधिकार सुरक्षित है: (i) कोई कारण बताए बिना किसी भी समय विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने का। (ii) किसी भी कारण से विज्ञापित कुछ या सभी पदों को भरना या न भरना। (iii). निर्धारित प्रक्रिया के बाद पदों की संख्या को बढ़ाना/घटाना।
29. उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए गलत पते, ई-मेल के कारण किसी भी नुकसान या किसी भी जानकारी के नुकसान के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
30. साक्षात्कार/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए एनएफएसयू द्वारा कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
31. साक्षात्कार/परीक्षा आदि में भाग लेने के लिए कॉल लेटर तथा अन्य पत्राचार योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
32. वे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा फर्जी/अमान्य घोषित किसी भी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों का डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, वे विज्ञापित पदों की भर्ती हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
33. सेवा में सीधी भर्ती के लिए व्यक्ति का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त बना सके। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सरकारी निगम द्वारा बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा।



34. किसी भी व्यक्ति को तब तक भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, PWBD (दिव्यांग उम्मीदवारों) को छोड़कर, जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की संभावना रखता हो, यदि चयनित और नियुक्त किया जाता है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
35. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें [www.nfsu.ac.in](http://www.nfsu.ac.in). उन्हें स्पैम फ़ोल्डर्स और समर्थ डैशबोर्ड सहित चयन प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल खाते की जांच करनी चाहिए।
36. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के नियम और शर्तें को "प्रस्ताव पत्र" के रूप में सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो प्रस्ताव वापस लिया हुआ माना जाएगा।
37. विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के मामले में क्षेत्राधिकार गुजरात, अहमदाबाद/गांधीनगर के न्यायालयों तक ही सीमित रहेगा।
38. विज्ञापन में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन होता है तो केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.nfsu.ac.in](http://www.nfsu.ac.in) पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
39. आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने शैक्षिक योग्यता, अनुशासन, अनुभव और अन्य मानदंडों के बारे में सभी निर्देश पढ़ लिए हैं और मानदंडों के अनुसार पद के लिए अपनी पात्रता पूरी करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन तक आपकी उम्मीदवारी अनंतिम (प्रोविजनल) रहेगी। केवल फॉर्म जमा करने, दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार/परीक्षण में उपस्थित होने मात्र से पद के लिए कोई अधिकार नहीं बन जाएगा।
40. आवेदन करने के लिए क्लिक करें: <https://nfsurec.samarth.edu.in>.

\*\*\*\*\*

